

भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके विधवाओं को अतिरिक्त कमरा/स्नानघर/रसोईघर बनाने हेतु एकीकृत निधि से अधिकतम ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र आर्थिक सहायता स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र।

भाग - "क"(भूतपूर्व सैनिक/विधवा का विवरण)

हाल का पासपोर्ट
फोटो चिपकाए

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ).....
2. भूतपूर्व सैनिक/पति का न० रैंक नाम अलंकरण
3. अभिलेख कार्यालय/रेजिमेंट/कोर
4. सेना में भर्ती की तिथि
5. सेना से निवृति का कारण
6. प्राप्त पेंशन की राशि
7. खेती बारी/व्यवसाय से आय
8. पारिवारिक विवरण :—

क्रमांक	नाम	उम्र	संबंध	व्यवसाय	स्कूल का आय/ कॉलेज में अध्ययनरत अथवा नहीं
---------	-----	------	-------	---------	--
9. पूर्व में निर्मित मकान का विवरण :— मौजा खाता न०
प्लाट न० रकबा थाना सं०
10. अतिरिक्त कमरा/स्नानघर/रसोईघर बनाने हेतु स्वयं निर्धारित मूल्यांकन (Self Assessment Report) (ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षर/शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित पार्षद द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की गई) की प्रति संलग्न करें।
11. ग्राम प्रधान/वार्ड आयुक्त द्वारा प्रदत बेरोजगार प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. जिस जमीन पर कमरा बनाना है उस जमीन का दाखिल खारिज एवं अब तक भुगतान की गई मालगुजारी/Holding Tax रसीद संलग्न करें।
13. स्थाई पता (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर छायाप्रति संलग्न करें) :

ग्राम	पोस्ट	जिला
पिन	मोबाईल नं०	

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि अतिरिक्त कमरा/स्नानघर/रसोईघर का निर्माण अपने जमीन/पति/पत्नी के भूखण्ड पर कर रहा/रही हूँ एवं यह मेरे दखल में है।

दिनांक :

भूतपूर्व सैनिक/आवेदिका का हस्ताक्षर एवं नाम

नाम :

नोट : आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :—

1. डिस्चार्ज बुक पेंशन/अदायगी आदेश (PPO) की छायाप्रति
2. शुरूआत और बनने के बाद का कमरे का फोटो प्रस्तुत करें
3. स्वयं निर्धारित मूल्यांकन
4. जिंसै०क०का० द्वारा जारी पहचान पत्र
5. बेरोजगार प्रमाण पत्र
6. मुखिया द्वारा प्रदत कुर्सीनामा
7. आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक के पहले पन्ने की छायाप्रति
8. प्रखण्ड कार्यालय द्वारा आर्थिक सहायता न दिये जाने का प्रमाण पत्र

खण्ड - "ख"

(जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के व्यवहार हेतु)

कल्याण व्यवस्थापक का जाँच प्रतिवेदन

14. आवेदक का व्यक्तिगत रूप से स्थल/स्थान का निरीक्षण किया गया तथा सही पाया गया/सही नहीं पाया गया है। इस आवेदक को ₹ मात्र (रूपये मात्र) की आर्थिक सहायता दो किश्तों (75% और 25%) भुगतान हेतु अनुशंसा/अअनुशंसा की जाती है। इनका नाम कार्यालय पंजी के क्रमांक दर्ज है।

दिनांक :

(कल्याण व्यवस्थापक का नाम एवं हस्ताक्षर)

(जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा)

15. कल्याण व्यवस्थापक श्री के जाँच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आवेदक को ₹ /- (रूपये मात्र) दो किश्तों (75% और 25%) भुगतान करने की अनुशंसा/अअनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी,

खण्ड - "ग"

सैनिक कल्याण निदेशालय

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, संलग्न दस्तावेजों, अन्य साक्ष्य अभिलेखों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर ₹ (रूपये मात्र) आर्थिक सहायता दो किश्तों (75% और 25%) देने की अनुशंसा/अअनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

सहायक निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय
झारखण्ड, राँची

17. आवेदक के आवेदन, संलग्न दस्तावेजों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी और सहायक निदेशक के अनुशंसा उपरांत आवदेक को ₹ (रूपये मात्र) आर्थिक सहायता दो किश्तों (75% और 25%) भुगतान को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक :

निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय
झारखण्ड, राँची